कार्यालय–अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

E-mail:nodalofficerddn@gmail.com Phone/ Fax: 0135-2767611

पत्रांक– 1224 / FP/UK/ROAD/11139/2015 :देहरादूनःदिनांकः 6 मई, 2020

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक
भारत सरकार पर्यावरण,
वन एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय, (उत्तर–मध्य क्षेत्र),
25 सुभाष रोड़, देहरादून।

विषयः–जनपद पौड़ी गढवाल में मस्टखाल से शीलाडांडा मोटर मार्ग के निर्माण हेतु (5.450 किमी0) हेतु 2.275 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्या हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन।

सन्दर्भः– भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून के EDS 8बी / यू.सी.पी. / 06 / 126 / 2019 / एफ0सी0 / 1517 दिनांक 09–10–2019 **(प्रति संलग्न)**

महोदय,

कृपया भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून के उपर्युक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा प्रश्नगत प्रकरण में कतिपय शर्तों के तहत सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गई है। अतः सैद्धान्तिक स्वीकृति पत्र में अधिरोपित शर्तों का अनुपालन कर आख्या निम्न प्रकार इस कार्यालय को उपलब्ध करायी गयी है।

1. भारत सरकार की शर्त संख्या–1 के अनुपालन में प्रत्यावर्तित भूमि के बदले प्रस्तावित 4.550 हे0 ग्राम–सीलाडांडा सिविल सोयम भूमि पर प्रतिपूरक वृक्षारोपण हेतु 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करने हेतु यथासंशोधित) जमा करायी गयी है। प्रस्तावक विभाग के अनुसार प्रस्तावित सिविल सोयम वन भूमि का वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण / नामान्तरण किया जा चुका है। प्रस्तावक विभाग क पत्र दिनांक 16.01.2020 **की प्रति संलग्न है। संलग्नक–1**
2. प्रस्तावक विभाग द्वारा अपने पत्र दिनांक 16.01.2020 द्वारा अवगत कराया गया है कि वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात भारतीय वन अधिनियम 1927 के अन्तर्गत विधिवत स्वीकृति से पूर्व आरक्षित / संरक्षित वन घोषित उच्च्व स्तर से किया जाना है।
3. प्रस्तावक विभाग द्वारा दिनांक 10.12.2019 को एन0पी0वी0 धनराशि जमा करवा दी गयी है। **प्रति संलग्न है। संलग्नक–2**
4. प्रस्तावक विभाग द्वारा अपने पत्र दिनांक 16.01.2020 द्वारा अवगत कराया गया है यदि एन0पी0वी0 में बढोत्तरी होती है तो अतिरिक्त धनराशि जमा किये जाने के सम्बन्ध में जो निर्देश प्राप्त होगें प्रस्तावक विभाग को मान्य है।
5. प्रस्तावक विभाग के अनुसार जमा किये जाने वाली सभी निधियां (C A cost, NPV etc) को वैब पोर्टल पर Online Generate चालन के माध्यम से खाते में परिवेश वैबसाईट से जमा कर दिये गये है।

6. बिन्दु संख्या 6 के क्रम में Central Verge अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख–रेख में strip Plantation किया जाना है प्रस्तावक विभाग को मान्य है।

7. बिन्दु संख्या 7 के क्रम में प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि Geologist Report एवं प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रमाणित संयुक्त निरीक्षण की मूल प्रति के सम्बन्ध में मागी गयी सूचना प्रस्ताव विभाग को मान्य है।

अतः उपरोक्तानुसार बिन्दु संख्या–1 से बिन्दु संख्या–7 तक की बिन्दुवार अनुपालन आख्या इस कार्यालय को प्राप्त हुयी है जिसे अग्रेत्तर स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जा रहा है।

भवदीय,

4/5/20

(डी0जे0के0 शर्मा)
अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी

संख्याः– / FP/UK/ROAD/11139/2015 दिनॉकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. प्रभागीय वनाधिकारी, भूमि संरक्षण वन प्रभाग, लौन्सडौन।
2. अधिशासी अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई0, सिंचाई खण्ड, कोटद्वार।

(डी0जे0के0 शर्मा)
अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी